प्रेस विज्ञप्ति

20.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 03.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट नंबर 1, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष मैसर्स टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक रामेंदु चट्टोपाध्याय के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12/02/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश के अनुपालन में मैसर्स टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कोर्ट ने सीबीआई को चिट-फंड कंपनियों के खिलाफ झारखंड राज्य में दर्ज सभी एफआईआर की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड के सीएमडी रामेंदु चट्टोपाध्याय और अन्य निदेशकों ने बेईमानी और धोखाधड़ी से टावर इन्फोटेक लिमिटेड के सौर उत्पाद और टूर पैकेज के विरुद्ध निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च और गारंटीकृत रिटर्न का आश्वासन देकर वरीयता शेयरों, डिबेंचरों और अग्रिमों में निवेश के प्रमाण पत्र/बॉन्ड/रसीदें डिजाइन करके और जारी करके आपस में आपराधिक साजिश रची। जमाकर्ताओं को बैंकिंग पैटर्न पर एफडी, आरडी, एमआईएस जैसी योजना के बारे में जानकारी दी गई और उच्च और गारंटीकृत रिटर्न के बारे में झूठा आश्वस्त किया गया। मैसर्स टावर इन्फोटेक लिमिटेड ने कुल 255.91 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि एकत्रित की और कंपनी ने परिपक्वता भुगतान 98.97 करोड़ रुपए (लगभग) किया और शुद्ध बकाया 156.93 करोड़ रुपए (लगभग) वसूलने के बाद 2013-14 के बाद उन्होंने अपना कार्यालय बंद कर भाग गए।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि मैसर्स टावर इन्फोटेक लिमिटेड आरबीआई अधिनियम में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत नहीं था। इसलिए, मैसर्स टावर इन्फोटेक लिमिटेड को कभी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में जनता से जमा एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।

ईडी की जांच में अपराध की आय का उपयोग करके अर्जित की गई विभिन्न चल और अचल संपत्तियों का भी पता चला। इसके अलावा, मैसर्स टावर इन्फोटेक लिमिटेड के सीएमडी रामेंदु चट्टोपाध्याय को 14.12.2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।